न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 16/2021

प्रार्थीगण :–

1. सुजाराम पुत्र गुमनाराम सैन, नि0 बालोतरा
2. चैनाराम पुत्र रूगाराम जाट,नि0 नगाणा तल कनोड
3. कानसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति राजपूत निवासी आसाडा, तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थितिः– 1 श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थीगण वकील

2.. पेरोकार सरकार जरिये उप तहसीलदार जसोल

आदेश — दिनांक :– 16.4.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा सिंधियों की ढाणी, तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण की खातेदारी खेत की भूमि के बदिशा उतर में कटाण रास्ता खसरा संख्या 1648/26 में आया हुआ है, इसलिये प्रार्थीगण सं. 01 अपने खातेदारी खेत खसरा न0 1523/1011, व प्रार्थीगण सं. 02 व 03 अपने खातेदारी खेत खसरा न0 1524/1011 से कटाण मार्ग खसरा न0 168/26 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 1010/12 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/560 दिनांक 15.03.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 में जाहिर किया गया कि मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1523/1011, 1524/1011, खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा खसरा न0 1010/12 किस्म बा0 दो0 बिला कब्जा मुमकिन दर्ज है मे से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है मौके पर खाली एवं विवादरहित है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 392042/रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 19 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि बनती है।

प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक15.01.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सिंधियों की ढाणी के खेत खसरा न0 1523/1011, 1524/1011, बीघा हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1010/12 में से संभव है। खसरा संख्या 1010/12 वर्तमान में बिला कब्जा मुमकिन भूमि है जिसका जमाबन्दी अनुसार मूल रकबा 5.07 बीघा किस्म बा.दोयम है। इस रास्ते की कुल लम्बाई 108 गट्टा है। 30 फीट चौडाई के आधार पर कुल रकबा 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी (26730 वर्ग फीट) रास्ते के प्रयोजनार्थ रहता है। भूमि की वर्तमान की डी.एल.सी दर रूपये 3,92,040 (अक्षरे रूपये तीन लाख बरानवे हजार) प्रति बीघा है। प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु रास्ता एक मात्र विकल्प है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौके की स्थिति अनुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है तों उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रत्तीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा सिंधियों की ढाणी, के खेत खसरा न0 – 1523/1011, 1524/1011 में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खसरा न0 1010/12 मौजा सिधियों की ढाणी मे से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 3,92,040 /– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 19 बिस्वा 13 बिस्वांशी भूमि की राशि 3,85,200 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 7,70,400/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 में प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned with CamScanner